

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी, राँची  
सी० सी० ए० वाद सं० - 14 / 2023

05  
21.04.2023

राज्य

बनाम

ईश्वर दयाल महतो पिता कृष्णचन्द्र महतो, निवासी - मुचीडीह, थाना  
तमाड़, जिला - राँची (झारखण्ड) .....  
विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 212/डी०सी०बी० दिनांक  
27.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी ईश्वर दयाल महतो पिता  
कृष्णचन्द्र महतो, निवासी - मुचीडीह, थाना तमाड़, जिला - राँची को  
झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के  
अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया  
गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी ई वर दयाल निम्नलिखित  
पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमें आरोप पत्र भी समर्पित है:-

1. तमाड़ थाना काण्ड सं०-26/14 दिनांक 05.04.2014  
धारा-399/409 भा०द०वि० एवं 25(1-ए०) 26/35 शस्त्र  
अधि०
2. तमाड़ थाना काण्ड सं०-41/15, दिनांक 01.06.2015 धारा-  
25 (1-ए०) 26/35 शस्त्र अधि० एवं 3/4 वि०पदा०अधि०
3. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा सं०-15/22 दिनांक 29.10.2022
4. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा सं०-23/22 दिनांक 25.10.2022

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि  
अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बुण्डू, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक-  
247/ 2023, दिनांक- 22.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया




आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3


प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी के खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संघाणीय नहीं है एवं इसलिए इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति ईश्वर दयाल, पिता कृष्णचन्द्र महतो, निवासी - मुचीडीह, थाना तमाड़, जिला - राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

  
जिला दण्डाधिकारी  
राँची

  
जिला दण्डाधिकारी  
राँची